न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी कमांक 2311/एक/2015 विरूद्ध प्रतिवेदन दिनांक 14-6-12 व्दारा - राजस्व निरीक्षक छिन्दवाड़ा - तहसील छिन्दवाड़ा का प्रकरण कमांक 236 अ-12/2011-12

राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मोतीराम पारधे
निवासी पुराना छापाखाना लक्ष्मी साईकिल
स्टोर्स के सामने, छिन्दवाड़ा म0प्र0 ----आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती भूरीवाई पत्नि विष्णुप्रसाद सोनी
पुराने पावर हाउस के पास रघुवॅशीपुरा
शक्ति चौक छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश ----अनावेदिका

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.बी.एल.बघेल)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एन.के.पटैल)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 10 -2015 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक छिन्दवाड़ा व्दारा तहसील छिन्दवाड़ा के प्रकरण कमांक 236 अ-12/2011-12 में प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 14.6.12 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदिका ने तहसीलदार छिन्दवाड़ा के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि मौजा छिन्दवाड़ा

स्थित भूमि स.क्र.177 पट.ह.नंबर 19 एंव छिन्दवाड़ा स्थित भूमि सर्वे नंबर 1340/1 रकबा 1.995 हैक्टर भूमि भूरीवाई, विष्णुप्रसाद, लालज़ी संतोश अरबिन्द पुत्रगण विष्णुप्रसाद , धर्मेश कुमार पुत्र आर.सी.सोनी , श्रीमती सालू पत्नि धर्मेशकुमार, गायत्री पत्नि आशीषकुमार सोनी के नाम से रिकार्ड में दर्ज हैं इस भूमि का सीमांकन कराया जाय। तहसीलदार छिन्दवाडा ने प्र.क्र. 236 अ–12/2011–12 पंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक छिन्दवाड़ा को सीमांकन करने हेतु पत्र जारी किया। राजस्व निरीक्षक छिन्दवाड़ा ने सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 14.6.12 तहसीलदार छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया। इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तहसीलदार छिन्दवाडा के प्रकरण क्रमांक 236 अ–12/2011–12 का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार छिन्दवाडा के प्र.क्र. 236 अ–12/2011–12 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने तहसीलदार छिन्दवाड़ा के प्रकरण क्रमांक 236 अ–12/ 11–12 में प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 14.6.12 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 16–7–12 को प्रस्तुत की है, जबकि तहसीलदार छिन्दवाड़ा इसी प्रकरण में दिनांक 14.6.12 को अंतिम आदेश पारित कर चुके हैं जो इस प्रकार है :–

- प्रकरण पेश । राजस्व निरी. से सीमांकन उपरांत रिपोर्ट प्राप्त। सीमांकन रिपोर्ट प्रति आवेदक को दी जावे। प्रकरण नस्ती हो। *